

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
प्रमोद कुमार (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड कनवास जिला कोटा

मिसल नंबर 14/17

निर्णय दिनांक 08.06.23017

1. मुकेश पुत्र अशोक उर्फ नंदकिशोर।
2. मनोज उर्फ मानू पुत्र अशोक कुमार उर्फ नंदकिशोर जाति लश्करी निवासी ग्राम गंगापुर तहसील कनवास हाल निवासी मोडक तहसील रामगंजमण्डी।
3. निर्मला बाई पुत्री अशोक कुमार उर्फ नंदकिशोर पत्नी छोटूलाल जाति लश्करी निवासी गंगापुर तहसील कनवास हाल निवासी मकान नंबर 409 महावीर नगर तृतीय कम्पीटिशन कॉलोनी वार्ड नंबर 04 कोटा तहसील लाडपुरा।
4. शांतिबाई बेवा अशोक कुमारे उर्फ नंदकिशोर जाति लश्करी निवासी गंगापुर तहसील कनवास हाल निवासी ग्राम मोडक तहसील रामगंजमण्डी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास।

उपस्थित :-



वादीगणस्वयं

प्रतिवादी की ओर से पेशकार सरकार

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट बाबत इन्द्राज दुरुस्ती व हक घोषणा

निर्णय

वादी द्वारा जयें एडवोकेट वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के संयुक्त खाते एवं कब्जे काशत की आरजी माल ग्राम नीमखेडी पटवार हल्का सीमलिया तहसील कनवास जिला कोटा में खाता संख्या नई 44 के खसरा नंबर 48 की रकबा 1.40 है, आराजी स्थित है। जिसमें वादीगण का 1/16 हिस्सा निहित है एवं माल ग्राम गुंजारा पटवार हल्का लोढाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

में खाता संख्या नई 78 के खसरा नंबर 123 की 0.32 है0, खसरा नंबर 124 की 0.01 है0, खसरा नंबर 125 की 2.17 है0, खसरा नंबर 438 की 0.69 है0, खसरा नंबर 470 की 0.12 है0, खसरा नंबर 488 की 0.13 है0, खसरा नंबर 489 की 0.17 है0, कुल खसरा किता 07 की कुल रकबा 3.61 है0, आराजी स्थित है। जिसमें वादीगण का 1/6 हिस्सा निहित है जिस पर वादीगण बदस्तूर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

यह कि माल ग्राम नीमखेडी पटवार हल्का सीमलिया तहसील कनवास की जमाबंदी में वादीगण नंबर 01 लगायत 03 के पिता व वादी नंबर 04 के पति का नाम नंदकिशोर दर्ज हो रहा है तथा इसी प्रकार माल ग्राम गुंजारा पटवार हल्का लोढाहेडा तहसील कनवास की जमाबंदी में भी वादीगण नंबर 01 लगायत 03 के पिता व वादी नंबर 04 के पति का नाम नंदकिशोर दर्ज हो रहा है। जो उनके बचपन का बोलता नाम है तथा बचपन में वादीगण नंबर 01 लगायत 03 के पिता व वादी नंबर 04 के पति को नंदकिशोर के नाम से ही पुकारा जाता था तथा यह उनका बचपन का बोलता नाम है। इसलिए उनके पिता की मृत्यु के बाद खुले इन्तकाल में उनका नाम नंदकिशोर लिखा दिया गया था। इसीलिए आज भी राजस्व रेकार्ड में उनका नाम नंदकिशोर लिखा दिया गया था। इसीलिए आज भी राजस्व रेकार्ड में उनका नाम नंदकिशोर दर्ज है। जबकि बाद में उनका स्कूल में नाम अशोक कुमार लिखाया गया तथा उनका पहचान पत्र, आधार कार्ड इत्यादि में सभी दस्तावेजों में अशोक कुमार पुत्र रतनलाल नाम दर्ज है तथा इसी फ़ैक्ट्री में नौकरी भी की है तथा वादीगण नंबर 01 लगायत 03 के भी सभी स्कूल रेकार्ड, पहचान पत्र, इत्यादि कार्ड में पिता का नाम अशोक कुमार दर्ज है तथा वादी नंबर 04 के भी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड में अशोक कुमार नाम दर्ज है। इसी प्रकार राजस्व रेकार्ड व अन्य दस्तावेजात में नाम में भिन्नता आने से वादीगण को काफी परेशानी आ रही है।

यह कि वादी नंबर 02 का नाम भी माल ग्राम नीमखेडी पटवार हल्का सीमलिया के खसरा नंबर 48 की रकबा 1.40 है0 के राजस्व रेकार्ड में सही नाम मनोज दर्ज है लेकिन माल ग्राम गुंजारा पटवार हल्का लोढाहेडा की खाता संख्या नई 78 के कुल खसरा किता 07 की रकबा 3.61 है0, के राजस्व रेकार्ड में वादी नंबर 02 का घर बोलता नाम मोनू दर्ज हो रहा है जिससे वादी क्रम 02 को भी काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा वादीगण को फसली ऋण इत्यादि लेने व सहकारी से ऋण इत्यादि लेने में काफी परेशानी आ रही है।

यह कि वादीगण को उक्त राजस्व रेकार्ड में हुई त्रुटि की जानकारी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु माल नीमखेडी की जमाबंदी सम्बंधित पटवारी हल्का से दिनांक 16.03.2017 को लेने पर हुई। इस पर वादीगण ने सम्बंधित पटवारी हल्का से नाम दुरुस्ती हेतु निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में नाम व इन्द्राज दुरुस्ती का वाद पेश करने के लिए कहा। इसलिए वाद कारण माल नीमखेडी की जमाबंदी दिनांक 04.07.16 को लेने पर व माल गुंजारा की जमाबंदी दिनांक 15.03.17 की लेने पर वादीगण की जानकारी आने पर उत्पन्न हुआ।

वादी द्वारा अपने अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पुनः निवेदन किया कि :-

(अ) कि वाद के पैरा नंबर 01 में वर्णित विवाद ग्रस्त आराजी वाके माल ग्राम नीमखेडी पटवार हल्का सीमलिया तहसील कनवास जिला कोटा की खाता संख्या नई 44 के खसरा नंबर 48 की रकबा 1.40 है0, आराजी स्थित है। जिसमें वादीगण का 1/16 हिस्सा निहित है एवं माल ग्राम गुंजारा



उपरोक्त जानकारी
कनवास जिला कोटा (सज0)

पटवार हल्का लोढाहेडा, तहसील कनवास, जिला कोटा में खाता संख्या नई 78 के खसरा नंबर 123 की 0.32 है0, खसरा नंबर 124 की 0.01 है0, खसरा नंबर 125 की 2.17 है0, खसरा नंबर 438 की 0.69 है0, खसरा नंबर 470 की 0.12 है0, खसरा नंबर 488 की 0.13 है0, खसरा नंबर 489 की 0.17 है0, कुल किता 07 की कुल रकबा 3.61 है0, आराजियात के राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त कर वादीगण नंबर 01 लगायत 03 के पिता व वादी नंबर 04 के पति का नाम दुरुस्त कर नंदकिशोर के बजाय अशोक कुमार दर्ज किया जावे तथा माल ग्राम गुंजारा पटवार हल्का लोढाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा के खाता संख्या नई 78 के कुल खसरा किता 07 की रकबा 3.61 है0, के राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त कर वादी क्रम 02 का नाम मोनू के बजाय शुद्ध कर मनोज दर्ज किया जावे।

यह कि वादीगण को वाद पत्र के पेरा नंबर 01 में वर्णित माल ग्राम नीमखेडी पटवार हल्का सीमलिया तहसील कनवास की खाता संख्या नई 44 के खसरा नंबर 48 की 1.40 है0, आराजी का 1/16 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं माल ग्राम गुंजारा पटवार मण्डला लोढाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा में खाता संख्या 78 के खसरा नंबर 123 की 0.32 है0, खसरा नंबर 124 की 0.01 है0, खसरा नंबर 125 की 2.17 है0, खसरा नंबर 438 की 0.69 है0, खसरा नंबर 470 की 0.12 है0, खसरा नंबर 488 की 0.13 है0, खसरा नंबर 489 की 0.17 है0, कुल किता 07 की कुल रकबा 3.61 है0 आराजी में 1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे। वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी की गई।

पत्रावली सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत बास्याहेडी में प्रस्तुत हुई, जवाब सरकार दिनांक 22.03.2017 को प्राप्त जवाब सरकार का अवलोकन किया गया शिविर के दौरान पटवारी रिपोर्ट प्राप्त जो शामिल पत्रावली किया गया। पटवारी पटवार मण्डल लोढाहेडा द्वारा रिपोर्ट की गई की नन्दकिशोर को गांव में अशोक कुमार नाम से भी जाना जाता है, तथा वादीगण ने पहचान पत्र वगैराह दस्तावेज बताये जिनमे पिता के नाम पर अशोक कुमार दर्ज है। वादीगण के पिता का नाम उपरोक्त वर्णित भूमि में नन्दकिशोर दर्ज है। वादीगण के पिता का नाम उपरोक्त वर्णित भूमि में नन्दकिशोर दर्ज है। वास्तव में नन्दकिशोर व अशोक कुमार एक ही व्यक्ति है तथा इस व्यक्ति का पुत्र मोनू जिसको मनोज नाम से भी गांव में जानते है। मोनू व मनोज नाम एक ही व्यक्ति का है उसकी भी ग्रामवासियों व पहचान पत्र, दस्तावेजों तथा ग्राम नीमखेडी की जमाबन्दी में दर्ज नाम मनोज अनुसार सही है। वादीगण के पिता का नाम नन्दकिशोर है इसी व्यक्ति का नाम अशोक कुमार भी है तथा वादीगण मोनू है जिसका ही नाम मनोज कुमार भी है।

हमारे द्वारा जवाब सरकार पटवारी रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों को अवलोकन किया गया वादीगण 01 लगायत 03 के पिता व वादी क्रम 04 के पति नंदकिशोर के बजाय अशोक कुमार को सिद्ध करने हेतु राजस्थान सरकार आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड की प्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति, इत्यादि पेश की गई। इसी प्रकार वादी क्रम 02 द्वारा भी अपना नाम मनोज कुमार सिद्ध करने हेतु राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, ड्राइविंग लाईसेंस की प्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की प्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रतियां पेश की गई जिसमें भी उनका नाम मनोज कुमार दर्ज है।



Handwritten signature
उपखण्ड जयकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

अतः पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड, सलग्न दस्तावेजों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि माल ग्राम गुंजारा पटवार हल्का लोढाहेडा, तहसील कनवास, जिला कोटा में खाता संख्या नई 78 के खसरा नंबर 123 की 0.32 है0, खसरा नंबर 124 की 0.01 है0, खसरा नंबर 125 की 2.17 है0, खसरा नंबर 438 की 0.69 है0, खसरा नंबर 470 की 0.12 है0, खसरा नंबर 488 की 0.13 है0, खसरा नंबर 489 की 0.17 है0, कुल किता 07 की कुल रकबा 3.61 है0, आराजियात के राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त कर वादीगण नंबर 01 लगायत 03 के पिता व वादी नंबर 04 के पति का नाम दुरुस्त कर नंदकिशोर के बजाय अशोक कुमार तथा वादी क्रम 02 का नाम मोनू के बजाय शुद्ध कर मनोज दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम नीमखेडी पटवार हल्का सीमलिया तहसील कनवास की खाता संख्या नई 44 के खसरा नंबर 48 की रकबा 1.40 है0, तथा माल ग्राम गुंजारा पटवार हल्का लोढाहेडा, तहसील कनवास, जिला कोटा में खाता संख्या नई 78 के खसरा नंबर 123 की 0.32 है0, खसरा नंबर 124 की 0.01 है0, खसरा नंबर 125 की 2.17 है0, खसरा नंबर 438 की 0.69 है0, खसरा नंबर 470 की 0.12 है0, खसरा नंबर 488 की 0.13 है0, खसरा नंबर 489 की 0.17 है0, कुल किता 07 की कुल रकबा 3.61 है0, आराजियात के राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त कर वादीगण नंबर 01 लगायत 03 के पिता व वादी नंबर 04 के पति का नाम दुरुस्त कर नंदकिशोर के बजाय अशोक कुमार तथा माल ग्राम गुंजारा के खाता संख्या 78 के खसरा नंबर 123 की 0.32 है0, खसरा नंबर 124 की 0.01 है0, खसरा नंबर 125 की 2.17 है0, खसरा नंबर 438 की 0.69 है0, खसरा नंबर 470 की 0.12 है0, खसरा नंबर 488 की 0.13 है0, खसरा नंबर 489 की 0.17 है0, कुल खसरा किता 07 की रकबा 3.61 है0, के राजस्व रिकार्ड में वादी क्रम 02 का नाम मोनू के बजाय शुद्ध कर मनोज दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तथा माल ग्राम नीमखेडी पटवार हल्का सीमलिया की खाता संख्या 44 के खसरा नंबर 48 की 1.40 है0, आराजी का वादीगण को 1/16 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, एवं माल ग्राम गुंजारा पटवार मण्डल लोढाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा में खाता संख्या 78 के खसरा नंबर 123 की 0.32 है0, खसरा नंबर 124 की 0.01 है0, खसरा नंबर 125 की 2.17 है0, खसरा नंबर 438 की 0.69 है0, खसरा नंबर 470 की 0.12 है0, खसरा नंबर 488 की 0.13 है0, खसरा नंबर 489 की 0.17 है0, कुल किता 07 की कुल रकबा 3.61 है0 आराजी में वादीगण को 1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2017 को मजमेआम सुनाया गया।



(Handwritten signature)

प्रमोद कुमार सिन्धव

(आर ए एस) अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाबा दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा "न्याय आपके द्वार 2017"

कैम्प अटल सेवा केन्द्र मामोर बईजलास प्रमोद कुमार सिन्धव (आर.ए.एस)

मिसल नंबर 14/17 दावा/बउनवान/मुकेश/राजस्थान सरकार

बउनवान

1. मुकेश पुत्र अशोक उर्फ नंदकिशोर।
2. मनोज उर्फ मानू पुत्र अशोक कुमार उर्फ नंदकिशोर जाति लश्करी निवासी ग्राम गंगापुर तहसील कनवास हाल निवासी मोडक तहसील रामगंजमण्डी।
3. निर्मला बाई पुत्री अशोक कुमार उर्फ नंदकिशोर पत्नी छोटूलाल जाति लश्करी निवासी गंगापुर तहसील कनवास हाल निवासी मकान नंबर 409 महावीर नगर तृतीय कम्पीटिशन कॉलोनी वार्ड नंबर 04 कोटा तहसील लाडपुरा।
4. शांतिबाई बेवा अशोक कुमार उर्फ नंदकिशोर जाति लश्करी निवासी गंगापुर तहसील कनवास हाल निवासी ग्राम मोडक तहसील रामगंजमण्डी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास।



उपस्थित :-

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर, टी एक्ट

मुकदमा नं० 14/17 सन 2017 निर्णय दिनांक 08.06.2017 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादीगण स्वयं एवं प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि माल ग्राम नीमखेडी पटवार हल्का सीमलिया तहसील कनवास की खाता संख्या नई 44 के खसरा नंबर 48 की रकबा 1.40 है0, तथा माल ग्राम गुंजारा पटवार हल्का लोढाहेडा, तहसील कनवास, जिला कोटा में खाता संख्या नई 78 के खसरा नंबर 123 की 0.32 है0, खसरा नंबर 124 की 0.01 है0, खसरा नंबर 125 की 2.17 है0, खसरा नंबर 438 की 0.69 है0, खसरा नंबर 470 की 0.12 है0, खसरा नंबर 488 की 0.13 है0, खसरा नंबर 489 की 0.17 है0, कुल किता 07 की कुल रकबा 3.61 है0, आराजियात के राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त कर वादीगण नंबर 01 लगायत 03 के पिता व वादी नंबर 04 के पति का नाम दुरुस्त कर नंदकिशोर के बजाय अशोक

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

कुनार तथा माल ग्राम गुंजारा के खाता संख्या 78 के खसरा नंबर 123 की 0.32 है0, खसरा नंबर 124 की 0.01 है0, खसरा नंबर 125 की 2.17 है0, खसरा नंबर 438 की 0.69 है0, खसरा नंबर 470 की 0.12 है0, खसरा नंबर 488 की 0.13 है0, खसरा नंबर 489 की 0.17 है0, कुल खसरा किता 07 की रकबा 3.61 है0, के राजस्व रिकार्ड में वादी क्रम 02 का नाम मोनू के बजाय शुद्ध कर मनोज दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तथा माल ग्राम नीमखेडी पटवार हल्का सीमलिया की खाता संख्या 44 के खसरा नंबर 48 की 1.40 है0, आराजी का वादीगण को 1/16 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, एवं माल ग्राम गुंजारा पटवार मण्डल लोढाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा में खाता संख्या 78 के खसरा नंबर 123 की 0.32 है0, खसरा नंबर 124 की 0.01 है0, खसरा नंबर 125 की 2.17 है0, खसरा नंबर 438 की 0.69 है0, खसरा नंबर 470 की 0.12 है0, खसरा नंबर 488 की 0.13 है0, खसरा नंबर 489 की 0.17 है0, कुल किता 07 की कुल रकबा 3.61 है0 आराजी में वादीगण को 1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिंग X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.06.2017 को जारी की गई।

मोहर



प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर ए एस)

उपखण्ड अधिकारी कनवास

मुदई	रुपया	पै.	मुदायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर ए एस) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कनवास

